न्यायालय लैण्ड रेकर्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही
बईजलास पीठासीन अधिकारी श्रीमति भावनासिंह (आर.ए.एस.)

रा.प्रा.प.संख्या 103 / 2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
कल्याणसिंह पुत्र शिवनाथसिंहजी सोलंकी आयु 74 वर्ष, पेशा सेवानिवृती और खेती, जाति सोलंकी (राजपुत) निवासी गोयली तहसील सिरोही जिला सिरोही (राज.)		राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार साहब सिरोही तहसील सिरोही जिला सिरोही (राज.)

उपस्थित :–
1. प्रार्थी की ओर से विद्वान वकील श्री ऋषि माथुर
2. अप्रार्थी स्टेट की ओर से श्री पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार) सिरोही

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते दुरूस्त करने राजस्व रेकर्ड

आदेश **दिनांक .02.2024**

प्रार्थी ने जरिए अधिवक्ता यह राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते दुरूस्त करने राजस्व रेकर्ड हेतु अप्रार्थी राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सिरोही के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 07.06.2023 को प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह निवेदन कि प्रार्थी और उसके सह–काश्तकारो के संयुक्त खातेदारी, कब्जे काश्त और हक अधिकार की कृषि भुमि ग्राम गोयली पटवार हल्का गोयली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रामपुरा तहसील सिरोही जिला सिरोही (राज.) मे आई हुई है जिसके खाता संख्या 125 और खसरा नम्बरान क्रमशः 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652 कूल खसरा नम्बरान 10 दस रकबा 08.7200 हेक्टेयर है। राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी की नकल संवत 2071 से 2074 तक की संलग्न है। उपरोक्त वर्णित कृषि भुमि में 1/6 एक बटे छः हिस्से की खातेदारी पहले प्रार्थी के दादा स्वर्गीय नवलसिंह के खातेदारी में ईन्द्राज थी। नवलसिंहजी के 4 चार पुत्र क्रमशः वागसिंह, शिवनाथसिंह, पनेसिंह और भूरसिंह हुए हैं। नवलसिंहजी के देहान्त के बाद उपरोक्त 1/6 एक बटे छः हिस्से की खातेदारी इनके चारो पुत्रो वागसिंह, शिवनाथसिंह, पनेसिंह और भूरसिंह के नाम से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अंकित हुई है जिसका उल्लेख संलग्न जमाबन्दी संवत 2019 से संवत 2022 तक से स्पष्ट है। उक्त कृषि भूमि के सेटलमेन्ट से पहले के खसरा नम्बरान क्रमशः 544, 545, 546,

547, 548, 549, 550, 551, 552, 553 है उपरोक्त नये और पूराने खसरा नम्बरान का मिलान क्षैत्रफल प्रार्थना पत्र के साथ में संलग्न है।

प्रार्थी ने आगे निवेदन किया की शिवनाथसिंह के एक मात्र पुत्र प्रार्थी कल्याणसिंह हुए हैं। कल्याणसिंह के अलावा शिवनाथसिंहजी के और कोई जाईन्दा पुत्र नही हैं जिससे सेटलमेन्ट के पश्चात बनी राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में क्रम संख्या 13 तेरह पर तो प्रार्थी का नाम कल्याणसिंह पुत्र शिवनाथसिंह सही रूप से अंकित हुआ है लेकिन जमाबन्दी के क्रम संख्या 37 पर त्रुटीवश नवलसिंह पुत्र शिवनाथसिंह नाम अंकित कर दिया गया है जब कि असल नाम कल्याणसिंह पुत्र शिवनाथसिंह अंकित होना चाहिए था। नवलसिंह नाम का कोई पुत्र शिवनाथसिंहजी के नही है बल्कि नवलसिंह प्रार्थी कल्याणसिंह के दादा है। इसी प्रकार से जमाबन्दी के क्रम संख्या 45 पर त्रुटीवश भूरसिंह पुत्र शिवनाथसिंह अंकित हुआ हैं जब कि असल नाम कल्याणसिंह पुत्र शिवनाथसिंह अंकित करना चाहिए था। संवत 2053 से राजस्व रेकर्ड में सेटलमेन्ट का कार्य चला। सेटलमेन्ट के पश्चात जब जमाबन्दी का संधारण हुआ उस दौरान क्रम संख्या 13 तेरह पर तो प्रार्थी का नाम कल्याणसिंह पुत्र शिवनाथसिंह सही रूप से अंकित हुआ है लेकिन जमाबन्दी के क्रम संख्या 37 पर त्रुटीवश कल्याणसिंह पुत्र शिवनाथसिंह के स्थान पर नवलसिंह पुत्र शिवनाथसिंह नाम अंकित कर दिया गया है। इसी प्रकार से जमाबन्दी के क्रम संख्या 45 पर कल्याणसिंह पुत्र शिवनाथसिंह के स्थान पर त्रुटीवश भूरसिंह पुत्र शिवनाथसिंह अंकित कर दिया है। उक्त गलत अंकन होने से प्रार्थी को कई कार्यो में बाधा उत्तपन्न हो रही है । प्रार्थी के दादा नवलसिंह उपरोक्त कृषि भूमि मे 1/6 एक बटे छः हिस्से के खातेदार कृषक रहे हैं। नवलसिंहजी के चार पुत्र क्रमशः वागसिंहजी, शिवनाथसिंहजी, पन्नेसिंहजी और भूरसिंहजी हुए है जिससे उपरोक्त चारो पुत्र उक्त कृषि भूमि में क्रमशः 1/24 एक बटे चौबिसवे हिस्से के खातेदार कृषक बने है। शिवनाथसिंह भी उपरोक्त कृषि भूमि में 1/24 एक बटे चौबिसवे हिस्से के खातेदार कृषक है लेकिन सेटलमेन्ट के दौरान शिवनाथसिंहजी के उपरोक्त हिस्से को जामाबन्दी के क्रम संख्या 13 तेरह 37 सेतीस और 45 में तीन हिस्सो में विभक्त कर दिया है क्रम संख्या 13 पर तो कल्याणसिंह का नाम सही रूप से अंकित हूआ है लेकिन क्रमं संख्या 37 सेतीस और 45 पैतालिस पर अंकन त्रुटीपूर्ण हूआ है जिसका शुददीकरण किया जाना न्यायहित मे अतिआवश्यक है।।

प्रार्थी ने निवेदन किया की प्रार्थी काश्तकार व्यक्ति है जिनके पुरे परिवार का भरण पोषण उक्त कृषि भुमि की आय पर निर्भर रहता है लेकिन राजस्व अधिकारीयो द्वारा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी मे त्रुटीवश क्रम संख्या 37 पर नवलसिंह पुत्र शिवनाथसिंह और क्रम संख्या 45 पर भूरसिंह पुत्र नवलसिंह अंकित कर दिया है जब कि उक्त दोनो स्थान पर कल्याणसिंह पुत्र शिवनाथसिंह अंकित होनो चाहिए था। उक्त त्रुटीपूर्ण अंकन से प्रार्थी को कई समस्याओ का सामना करना पड रहा है जिसका शुददीकरण अतिशीघ्र करवाया जाना प्रार्थी के लिए आवश्यक हो गया है ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत खसरा नम्बरान क्रमशः 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652 कूल खसरा नम्बरान 10 दस रकबा 08.7200 हेक्टेयर की जमाबन्दी संवत 2071 से संवत 2074

की सत्यापीत नकल, पुराने खसरा नम्बरान क्रमशः 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553 का मिलान क्षैत्रफल, प्रार्थना पत्र के जमाबन्दी संवत 2051से संवत 2054 की सत्यापीत नकल, नक्शा ट्रेस नया, खसरा मिलान क्षैत्रफल की नकल और सलग्न दस्तावेजो के अवलोकन व मनन के पश्चात प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो से यह न्यायालय प्रथम दृष्टया सहमत होने से दिनांक 12.06.2023 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते जवाब हेतु नोटिस जारी किए गये। उपरोक्त प्रकरण का अप्रार्थी स्टेट को नोटिस तामील होने के पश्चात अप्रार्थी स्टेट की ओर सें जवाब क्रमांक/रीडर/विधि/2023/2112 दिनांक 03.01.2024 न्यायालय में दिनांक 04.01.2024 को जवाब प्रस्तुत किया जिसे पत्रावली में शामिल मिसल किया गया और उक्त जवाब को दिनांक 06.02.2024 को न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड पर लिया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार सिरोही ने अपने जवाब दिनांक 03.01.2024 में यह कथन किया की ग्राम गोयली पटवार हल्का गोयली के खाता संख्या 125 की कृषि भूमि अवश्य स्थित है उपरोक्त कृषि भूमि में 1/6 एक बटा छः हिस्सा प्रार्थी के दादा नवलसिंहजी के नाम से अंकित रहा है। नवलसिंहजी के चार वारीसदार हुए है जिनका विवरण सलग्न मौका फर्द के पेढी पत्रक में अंकित है। इसके अलावा शिवनाथसिंहजी के एक मात्र पुत्र कल्याणसिंह है और नवलसिंहजी के पुत्र का नाम भी शिवनाथसिंह है जिससे शिवनाथसिंह पुत्र नवलसिंह सही प्रविष्ठि बनती है जमाबन्दी में पूर्व में लेखकीय त्रुटी से नवलसिंह पुत्र शिवनाथसिंह दर्ज हो गया है जो गलत है। पेरा 5 पांच का कथन सही है जमाबन्दी में भूरसिंह पुत्र शिवनाथसिंह दर्ज हुआ है जब की असल में भूरसिंह के पिता का नाम नवलसिंह है। यह सही है कि जमाबन्दी में त्रुटीवश नवलसिंह पुत्र शिवनाथसिंह व भुरसिंह पुत्र नवलसिंह अंकित हुआ हैं उक्त त्रृटीपूर्ण प्रविष्टी हटाने/निरस्त करने योग्य है क्यो की नवलसिंह के मृत्युउपरान्त शिवनाथसिंह का नाम आ चुका है एंव शिवनाथसिंह के मृत्युउपरान्त वारीसदार के रूप में कल्याणसिंह दर्ज हुआ है। इसी तरह से भूरसिंह पुत्र नवलसिंह की प्रविष्टी भी हटाने/निरस्त करने योग्य है। शिवनाथसिंह 1/24 के स्थान पर उनके मृत्युउपरान्त उनके एकमात्र वारीसदार कल्याणसिंह होना चाहिए था इसलिए नवलसिंह पुत्र शिवनाथसिह 1/72, और भूरसिंह पुत्र शिवनाथसिंह 1/72 के स्थान पर कल्यासिंह पुत्र शिवनाथसिह का नाम/हिस्सा संशोंधित किया जाकर प्रार्थी का नाम प्रविष्टि किया जाना युक्ति युक्त है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सलग्न प्रस्ताव अनुसार खातेदार विवरण संशोंधित किया जाना अपेक्षित है।

विचारण प्रकरण में वकील प्रार्थी और पैरोकार सरकार की अंतिम बहस इस न्यायालय में दिनांक 06.02.24 को रखी गई जिस पर वकील प्रार्थी एंव पैरोकार सरकार ने न्यायालय में उपस्थित होकर इस प्रकरण में अंतिम बहस करने से मेरे द्धारा अंतिम बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो की पूनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी और उसके सह काश्तकारो के संयुक्त खातेदारी, कब्जे काश्त और हक अधिकार की कृषि भुमि ग्राम गोयली पटवार हल्का गोयली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रामपुरा तहसील सिरोही जिला सिरोही (राज.) मे आई हुई है जिसके नवीन खसरा नम्बरान क्रमशः 643, 644,

645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652 और पुराने खसरा नम्बरान क्रमशः 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553 है उपरोक्त वर्णित कृषि भुमि में 1/6 एक बटे छः हिस्से की खातेदारी पहले प्रार्थी के दादा स्वर्गीय नवलसिंहजी के खातेदारी में ईन्द्राज थी। नवलसिंहजी के 4 चार पुत्र क्रमशः वागसिंह, शिवनाथसिंह, पनेसिंह और भूरसिंह हुए हैं। नवलसिंहजी के देहान्त के बाद उपरोक्त 1/6 एक बटे छः हिस्से की खातेदारी इनके चारो पुत्रो वागसिंह, शिवनाथसिंह, पनेसिंह और भूरसिंह के नाम से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अंकित हुई है शिवनाथसिंह के एक मात्र पुत्र प्रार्थी कल्याणसिंह हुए हैं। कल्याणसिंह के अलावा शिवनाथसिंहजी के और कोई जाईन्दा पुत्र नही हैं जिससे सेटलमेन्ट के पश्चात बनी राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में क्रम संख्या 13 तेरह पर तो प्रार्थी का नाम कल्याणसिंह पुत्र शिवनाथसिंह सही रूप से अंकित हुआ है लेकिन जमाबन्दी के क्रम संख्या 37 पर त्रुटीवश नवलसिंह पुत्र शिवनाथसिंह नाम अंकित कर दिया गया है जब कि असल नाम कल्याणसिंह पुत्र शिवनाथसिंह अंकित होना चाहिए था। नवलसिंह नाम का कोई पुत्र शिवनाथसिंहजी के नही है बल्कि नवलसिंह प्रार्थी कल्याणसिंह के दादा है। इसी प्रकार से जमाबन्दी के क्रम संख्या 45 पर त्रुटीवश भूरसिंह पुत्र शिवनाथसिंह अंकित हुआ हैं जब कि असल नाम कल्याणसिंह पुत्र शिवनाथसिंह अंकित करना चाहिए । उक्त गलत अंकन होने से प्रार्थी को कई कार्यो में बाधा उत्तपन्न हो रही है

अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार ने उपस्थित होकर जवाब में अंकित कथनो की पूनरावर्ती करते हुए निवेदन किया की कल्याणसिंह के अलावा शिवनाथसिंहजी के और कोई जाईन्दा पुत्र नही हैं जब कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में नवलसिंह पुत्र शिवनाथसिंह नाम अंकित कर दिया गया है जब कि असल नाम कल्याणसिंह पुत्र शिवनाथसिंह अंकित होना चाहिए था इसी प्रकार से जमाबन्दी मे त्रुटीवश भूरसिंह पुत्र शिवनाथसिंह अंकित हुआ हैं जब कि असल नाम कल्याणसिंह पुत्र शिवनाथसिंह अंकित करना चाहिए था सलग्न प्रस्ताव अनुसार खातेदार विवरण संशोंधित किया जाना अपेक्षित है।

हमने विचारण प्रकरण की मूल पत्रावली के साथ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खाता संख्या 125 और खसरा नम्बरान क्रमशः 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652 रकबा 08.7200 हेक्टेयर की जमाबन्दी संवत 2071 से संवत 2074 की सत्यापीत नकल, पुराने खसरा नम्बरान क्रमशः 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553 की जमाबन्दी संवत 2051 से संवत 2054 की सत्यापीत नकल और पुरानी सभी राजस्व रेकर्ड जमाबन्दीयो, नक्शा ट्रेस, खसरा मिलान क्षैत्रफल की नकल और सलग्न दस्तावेजो तथा अप्रार्थी तहसीलदार सिरोही का जवाब दिनांक 03.01.2024 का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया। वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी स्टेट पैरोकार सरकार की उक्त बहस पर भी गंभीरता से मनन किया।

सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह स्पष्ट है कि उपरोक्त वर्णित कृषि भुमि में 1/6 एक बटे छः हिस्से की खातेदारी पहले प्रार्थी के दादा स्वर्गीय नवलसिंहजी के खातेदारी में ईन्द्राज थी। नवलसिंहजी के 4 चार पुत्र क्रमशः वागसिंह, शिवनाथसिंह, पनेसिंह और भूरसिंह हुए हैं। नवलसिंहजी के देहान्त के बाद उपरोक्त 1/6 एक बटे छः हिस्से की खातेदारी इनके चारो पुत्रो वागसिंह, शिवनाथसिंह,

पनेसिंह और भूरसिंह के नाम से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अंकित हुई है शिवनाथसिंह के एक मात्र पुत्र प्रार्थी कल्याणसिंह हुए हैं। कल्याणसिंह के अलावा शिवनाथसिंहजी के और कोई जाईन्दा पुत्र नही हैं जिससे सेटलमेन्ट के पश्चात बनी राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम कल्याणसिंह पुत्र शिवनाथसिंह तो सही रूप से अंकित हुआ है लेकिन जमाबन्दी मे त्रुटीवश नवलसिंह पुत्र शिवनाथसिंह नाम अंकित कर दिया गया है जब कि असल नाम कल्याणसिंह पुत्र शिवनाथसिंह अंकित होना चाहिए था। नवलसिंह प्रार्थी कल्याणसिंह के दादा है। इसी प्रकार से जमाबन्दी मे त्रुटीवश भूरसिंह पुत्र शिवनाथसिंह अंकित हुआ हैं जब कि असल नाम कल्याणसिंह पुत्र शिवनाथसिंह अंकित करना चाहिए था अतः उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में हूई त्रुटी की श्रेणी में आने से न्यायहीत में प्रार्थी के उपरोक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रेकर्ड से प्रार्थी का नाम सम्पूर्ण कृषि भूमि मे उनके हिस्सेअनुसार अंकित जाने व उसके अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरमाद किया जाये तो कोई आपत्ती नही है।

अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956 के तहत विरूद्ध स्टेट बाबत राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती करवाने का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार सिरोही) को आदेश दिया जाता है कि ग्राम गोयली पटवार हल्का गोयली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रामपुरा तहसील सिरोही जिला सिरोही (राज.) मे स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 125 और खसरा नम्बरान क्रमशः 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652 कुल खसरा नम्बरान 10 दस रकबा 08.7200 हेक्टेयर के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में नवलसिंह पुत्र शिवनाथसिंह के स्थान पर कल्याणसिंह पुत्र शिवनाथसिंह और भूरसिंह पुत्र शिवनाथसिंह के स्थान पर कल्याणसिंह पुत्र शिवनाथसिंह करने और प्रार्थी के खातेदारी में तीनो हिस्सो को जोडते हुए उनका असल हिस्सा कल्याणसिंह पुत्र शिवनाथसिंह हि.1/24 एक बटा चौबिस अंकित किए जाने उसके अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र इस न्यायालय में भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। निर्णय सरे ईलजास सुनाया गया। निर्णय मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही (राज.)

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज॰)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 0 .02.204 को मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया ।

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही (राज.)

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज॰)